OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, FARIDABAD

ADVERTISEMENT

Applications are invited for filling up 14 purely temporary posts of Chowkidars **(i.e. General Category-08, General(ESM)-01, SC-02, BC-A-02 and BC-B-01)** in the Pay band "FPL-DL" plus other usual allowances as admissible to Haryana Government Employees, from time to time. The number of vacancies may decrease or increase on account of withdrawal or creation of Courts or otherwise. Candidates must have passed Middle Standard Examination and should possess knowledge of Hindi/Punjabi. No person shall be recruited to the service if he/she is less than 18 years or is more than 42 years of age as on 01.01.2018. Upper age limit is relaxable as per instructions of Hon'ble High Court and as prescribed by the Haryana Government from time to time. However, priority will be given to the retrenched/surplus staff of various Sessions Divisions. Application, on plain paper, giving complete Bio-Data i.e. Name of the Candidate, Father's Name, Date of Birth, Educational Qualification, Category, Contact number, Address with one latest passport size photograph alongwith attested copies of testimonials should reach the office of the undersigned on or before 27.02.2018 upto 5:00 p.m. Applications received after due date shall not be entertained in any circumstances whatsoever.

Note:-

1 **The date of interview shall be published in this very newspaper.**

2 **In case candidate of reserve category is not found suitable, the vacancy shall be filled up from amongst the candidates of the General Category.**

3 **No TA/DA shall be paid to the candidates for appearing in interview.**

4 **The reservation of SC,BC,ESM etc. is only for the domiciles of Haryana. (As per the instructions of the Govt. of Haryana).**

5 **Delay on the part of postal authorities shall not be a ground for entertaining the applications received after due date.**

District & Sessions Judge,
Faridabad. 08-02-2018

Endst. No. 1638 / E.1 Dated 9/2/18 /

The above cited advertisement is forwarded to the Manager, The Statesman, Delhi, for publication in the newspaper. Payment of advertisement will be made after advertisement of vacancy as well as on receipt of bill.

District & Sessions Judge,
Faridabad. 08-02-2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद

विज्ञापन

चौकीदार के 14 अस्थाई रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :-सामान्य श्रेणी –08, सामान्य (भूतपूर्व सैनिक) –01, अनुसूचित जाति –02, पिछड़ा वर्ग श्रेणी – 'अ' – 02, पिछड़ा वर्ग श्रेणी – 'ब' –0 1, वेतनमान "FPL-DL" + अन्य नियमित भत्ते जो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर मान्य हों| रिक्तियों की संख्या न्यायालयों की संख्या में बढ़त और घटत के अनुसार घटाई और बढाई जा सकती है| आवेदक आठवी कक्षा उतीर्ण होना चाहिए तथा हिंदी/पंजाबी भाषा का ज्ञान रखता हो| वे आवेदक जिनकी आयु 1 जनवरी 2018 तक 18 साल से कम हो या 42 साल से ज्यादा हो, आवेदन के योग्य नहीं हैं| अधिकतम आयु में छूट हरियाणा सरकार तथा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समय-समय पर मान्य है| विभिन्न सत्र न्यायालयों से न्यायालयों की संख्या घटने के फ़लस्वरूप हटाये गये या अतिरिक्त हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी| आवेदन एक सादे कागज़, जिस पर आवेदक का पूर्ण विवरण जैसे कि आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, संपर्क नंबर, पता और एक तत्कालीन पासपोर्ट आकार का फोटो तथा सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित नक़ल के साथ 27.02.2018 को सायं 05:00 बजे तक या इससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए| 27.02.2018 के बाद पहुँचने वाले आवेदन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होंगे|

नोट:

1. साक्षात्कार की तारीख़ इसी अख़बार में प्रकाशित की जाएगी|
2. यदि आरक्षित श्रेणी का कोई योग्य उमीद्वार नहीं पाया जाता है तो आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदकों में से चयन किया जायेगा|
3. आवेदक को साक्षात्कार के लिए पहुँचने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा|
4. आरक्षित श्रेणियों के पद हरियाणा राज्य सरकार के निर्देशानुसार केवल हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए ही आरक्षित हैं|
5. अंतिम तारीख के बाद डाक विभाग द्वारा आवेदन देरी से पहुँचाने पर मान्य नहीं होगा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फरीदाबाद 08-02-2018

क्रमांक : 1639 /E दिनांक : 9/2/18 /

इस विज्ञापन की एक प्रति मैनेजर, हरि भूमि, रोहतक को प्रकाशन हेतु भेजी जाएगी तथा इसकी अदायगी प्रकाशन के बाद बिल की प्राप्ति पर होगी|

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फरीदाबाद 08-02-2018